

डिकी व मुकदमें इक्टदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
अज इजलास :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)
व मु0 उनवान :-

- 1 शिवकांत पुत्र लाखन सिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम तोर दानियाल तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

--- वादी

बनाम

- 1 पूनम विधवा पिसरान रामनिवास जाति बढई निवासीगण ग्राम गन्हेदी तहसील राजाखेडा
2. रवि } पुत्रगण
3. रोहित }
4. रामखिलाडी पुत्र भंवर सिंह
5. प्रेमवती बेवा
6. जीतेन्द्र } पुत्रगण
7. लोकेन्द्र } पिसरान कालीचरण जाति बढई निवासी ग्राम गन्हेदी
8. सपना पुत्री कालीचरण तहसील राजाखेडा
9. सपना पत्नी सुम्मेर सिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम तोर दानियाल तहसील जिला धौलपुर
10. राजस्थान सरकार

--- प्रतिवादीगण

दावा:- दुरुस्ती इन्द्राज


निर्णय दिनांक 29.07.2021

मु0 नम्बर 44/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा हुकम दिया जाता है कि दावा वादी डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी ख0न0 2494 रकबा 0.3794 हैक्टे0, 2495 रकबा 0.3794 हैक्टे0, 2496 रकबा 0.6956 हैक्टे0 स्थिति ग्राम गन्हेदी पर वादी का नाम शिवशंकर पुत्र लाखन सिंह जाति त्यागी ग्राम तोर दानियाल के स्थान पर शिवकांत पुत्र लाखन सिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम तोर दानियाल सही दर्ज किया जाकर शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुकुम सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.